राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(6)एमई / ग्रुप–1 / 2008 जयपुर, दिनांक 15 MAY 2015

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(6)एमई / ग्रुप–1 / 2008 दिनांक 19.9.2013 के द्वारा डॉ. चेतन प्रकाश सुमन को वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में किया गया था। डॉ. चेतन प्रकाश सुमन को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी।

डॉ. सुमन ने दिनांक 28.09.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 6 माह की अभिवृद्धि चाही। इस सम्बन्ध में विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 11.10.2013 के द्वारा डॉ. सुमन को अक्टूबर माह के अन्त तक के लिए समयावधि में अभिवृद्धि प्रदान कर सूचित किया गया। डॉ. सुमन ने पुनः दिनांक 14.10.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करने के लिए न्यूनतम 2 माह तक की समयावधि में अभिवृद्धि चाही। इस सम्बन्ध में विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.10.2013 के द्वारा डॉ0 सुमन को 31.12.2013 तक के लिए समयावधि में अभिवृद्धि प्रदान कर उन्हें सूचित किया गया। डॉ. सुमन ने एक बार पुनः दिनांक 24.12.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 2 माह की अभिवृद्धि चाही। इस सम्बन्ध में विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.01.2014 के द्वारा उन्हें फरवरी माह के अन्त तक के लिए समयावधि में अभिवृद्धि प्रदान कर सूचित किया गया।

डॉ. सुमन के स्वंय के निवेदन पर कार्यग्रहण हेतु समयावधि में वृद्धि करने के पश्चात भी डॉ. सुमन के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है एवं डॉ. सुमन के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सूचना भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. सुमन नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है।

डॉ. सुमन के द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ. चेतन प्रकाश सुमन के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 19.9.2013 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(सम्पत मल लोढ़ा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(6)एमई / ग्रुप–1 / 2008 दिनांक 19.9.2013 के संदर्भ में।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
6. डा. चेतन प्रकाश सुमन, ग्राम–पोस्ट, तिसाया (TISAYA) जिला–बांरा–325222 (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
7. श्री पी.पी. तिवाड़ी, ए.पी. को वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
8. निजी पत्रावली / रंक्षित पत्रावली।

(धन्नालाल)
शासन सहायक सचिव